वर्ड स्मिथ

कैसे हुई पेन शब्द की उत्पत्ति

पेन शब्द की उत्पत्ति भाषा, इतिहास और लेखन परंपरा के आपसी संबंध को समझने का एक रोचक उदाहरण है। आज जिसे हम साधारण-सा लेखन उपकरण मानते हैं, उसका नाम सदियों पुराने सांस्कृतिक और तकनीकी विकास की कहानी अपने भीतर समेटे हुए है।

'पेन' शब्द अंग्रेजी भाषा का है, जिसकी जड़ें प्राचीन लैटिन भाषा में मिलती हैं। लैटिन में Penna शब्द का अर्थ होता है-पंख। प्राचीन काल में कागज पर लिखने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता था, वह वास्तव में पक्षियों के पंखों से बनाया जाता था। हंस, मोर या अन्य बड़े पक्षियों के पंखों की नोक को तेज कर स्याही में डुबोया जाता और फिर उससे लिखा जाता था। ऐसे लेखन उपकरण को अंग्रेजी में Quill Pen कहा जाता था।

मध्यकालीन यूरोप में विद्वान, लेखक और धार्मिक ग्रंथों के नकलनकर्ता इन्हीं पंखों से लिखते थे। उस समय लेखन एक श्रमसाध्य और कौशलपूर्ण प्रक्रिया थी। पंख से लिखने के लिए हाथ की स्थिरता और अभ्यास की आवश्यकता होती थी, क्योंकि स्याही का प्रवाह पूरी तरह लेखक के नियंत्रण पर निर्भर करता था। यही कारण है कि उस दौर में सुलेख (Calligraphy) को एक कला के रूप में देखा जाता था। समय के साथ लेखन तकनीक में परिवर्तन आया। धातु की निब का आविष्कार हुआ, फिर फाउंटेन पेन और आगे चलकर बॉल पेन अस्तित्व में आए। हालांकि लेखन उपकरण का स्वरूप पूरी तरह बदल गया, लेकिन उसका नाम नहीं बदला। 'पेन' शब्द लेखन की उस पुरानी परंपरा की स्मृति के रूप में भाषा में बना रहा। यह शब्द हमें याद दिलाता है कि भाषा अपने भीतर अतीत की छाप सहेज कर रखती है, भले ही समय कितना ही आगे क्यों न बढ़ जाए।

नोटिस बोर्ड

- महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय (एमजेपीआरयू) के बीएससी कृषि व एमएससी कृषि की परीक्षाएं दो फरवरी से शुरू होंगी। गौरतलब है कि रुहेलखंड विश्वविद्यालय के बरेली व मुरादाबाद मंडल में नौ जिलों में 22 कृषि कॉलेज हैं, जिसमें अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को जिले में ही 17 कॉलेज में ही सेंटर दिया गया है।
- बीएचयू में दूसरे सेमेस्टर की कक्षाएं फरवरी में शुरू होगी। सत्र को समय से शुरू कर 60 दिन से ज्यादा कक्षाएं चलाने का लक्ष्य रखा गया है। इससे पहले एनईपी के तहत चल रहीं सेमेस्टर और मिड टर्म परीक्षाएं समाप्त कराने का लक्ष्य रखा है, जबकि एक ही दिन 33 बहुविषयक परीक्षाएं करा ली जाएंगी।
- गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के तहत स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी की 40 हजार से अधिक सीटों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 2 फरवरी से शुरू की जाएगी। नए शैक्षणिक सत्र में यूजी-पीजी स्तर के 25 नए प्रोग्राम भी शुरू किए जा रहे हैं। इस बार बीटेक की कुछ सीटें सीयूईटी से भी भरी जाएंगी। गौरतलब है कि अब तक जेईई स्कोर से ही दाखिले होते थे। तीन साल की एलएलबी को भी शुरू किया गया है। सभी प्रोग्राम में दाखिले के लिए विश्वविद्यालय के टेस्ट सीईटी को देना होगा। अप्रैल-मई में एंट्रेंस होगा।

समानता के लिए समाधान

टकराव नहीं, संतुलन में है

महाविद्यालयों से लेकर विश्वविद्यालयों तक के कैंपस में इस समय माहौल यूजीसी रेगुलेशन-2026 को लेकर चर्चा, बहस और पक्ष-विपक्ष के बीच बंटा हुआ नजर आ रहा है। कहा जा रहा है कि यूजीसी के नए विनियमों से उच्च शिक्षण संस्थानों में एससी, एसटी और ओबीसी बनाम जनरल कैटेगरी के बीच भेदभाव और बढ़ेगा और इन विनियम का दुरुपयोग एडमिशन, नियुक्ति, प्रमोशन हर जगह होगा। इसका दुष्परिणाम यह होगा कि छात्र-छात्रों के बीच जातीय संघर्ष बढ़ने से आपसी समरसता और खत्म हो जाएगी। इसके चलते इन विनियम की सार्थकता जितनी व्यावहारिक रूप से सहज दिख रही है, वास्तविकता से ये उतने ही दूर हैं। इसी तर्क के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके UGC विनियम, 2026 को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है।

-मनोज त्रिपाठी, कानपुर

याचिका में कहा गया है कि नए नियम यूजीसी के समानता नियम के सेक्शन 3(C) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और व्यक्तिगत आजादी जैसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं और यूजीसी अधिनियम 1956 के भी विरुद्ध है। इससे उच्च शिक्षा में समान अवसर देने के अवसर खत्म होंगे। सोशल मीडिया पर भी इस विनियम का भारी विरोध हो रहा है। इस सबके बीच हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि शिक्षा न केवल प्रत्येक मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का हथियार भी है। यदि उच्च शिक्षण संस्थान अलगाववादी बने रहेंगे, तो वे राष्ट्र निर्माण का अपना मुख्य उद्देश्य कैसे पूरा कर पाएंगे। ऐसे में देश को 'शिक्षा के अधिकार' से 'समान शिक्षा के अधिकार' की तरफ आगे बढ़ना जरूरी है और यह तभी संभव है, जब कैंपस के भीतर भेदभावपूर्ण प्रथाओं को हतोत्साहित करने के साथ दंडित करने का प्रावधान सुनिश्चित किया जाए।

इन कारणों से अस्तित्व में आए नए नियम

यूजीसी के अनुसार नए नियमों की जरूरत उच्च शिक्षण संस्थानों में पिछड़ी और अनुसूचित जाति-जनजातियों के विरुद्ध बढ़ते भेदभाव के मामले रोकने और उन पर निगरानी रखने के लिए बनाए गए हैं। 2020 से 2025 के बीच जातिगत भेदभाव से जुड़ी शिकायतों में 100 फीसदी से ज्यादा की वृद्धि दर्ज की गई थी। इसके अलावा इस नियम को बनाने के पीछे रोहित वेमुला और पायल ताडवी जैसे मामलों में की गई सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां भी हैं। दरअसल जनवरी 2016 में तेलंगाना में रोहित वेमुला और मई 2019 में पायल ताडवी की आत्महत्या के मामलों के बाद पीड़ित परिजनों ने 29 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके जातीय भेदभाव की शिकायतों पर कठोर नियम बनाने की मांग की थी। जस्टिस सूर्यकांत मिश्रा की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने यूजीसी को जातिगत भेदभाव की शिकायतों पर डेटा जुटाने और नए नियम बनाने का निर्देश जनवरी 2025 में दिया था। इसी के बाद फरवरी 2025 में नए नियमों से संबंधित ड्राफ्ट जारी किया गया था। यह भी कहा जा रहा है कि ये विनियम उच्च शिक्षा में जाति-आधारित भेदभाव के विरुद्ध कानूनी और संस्थागत ढांचे को सुदृढ़ करते हैं तथा वर्ष 2019 में आईआईटी दिल्ली के अध्ययन में उठाई गईं उन गंभीर चिंता को संबोधित करते हैं, जिनमें पाया गया था कि ऐतिहासिक रूप से वंचित जातियों के 75 फीसदी छात्र परिसर में भेदभाव का सामना करते हैं।

नए विनियम में यह हैं प्रावधान

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने वाले विनियम-2026 को 13 जनवरी 2026 को अधिसूचित किया है। ये विनियम साल 2012 से लागू भेदभाव-रोधी नियमों का अपडेटेड स्वरूप हैं। इनका उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों में जाति-आधारित भेदभाव का उन्मूलन करना है।

- नए विनियमों में जाति आधारित भेदभाव की व्यापक व्याख्या की गई है। जाति-आधारित भेदभाव को अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के विरुद्ध किसी भी अनुचित या पक्षपातपूर्ण व्यवहार के रूप में परिभाषित किया गया है। इसके साथ ही भेदभाव को किसी भी अनुचित, पक्षपाती या भिन्न व्यवहार के रूप में परिभाषित किया गया है, चाहे वह प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष और यह जाति, धर्म, नस्ल, लिंग, जन्मस्थान या विकलांगता जैसे आधारों पर लागू होता है। इसमें ऐसे कृत्य भी शामिल हैं, जो शिक्षा में समानता के अधिकार को बाधित करें या मानव गरिमा का उल्लंघन करें।
- प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्थान के लिए समान अवसर केंद्र (EOC) स्थापित करना अनिवार्य होगा। इसका उद्देश्य समता, सामाजिक समावेशन एवं समान पहुंच को बढ़ावा देना तथा परिसरों में भेदभाव से संबंधित शिकायतों का समाधान करना है।
- प्रत्येक संस्थान में समान अवसर केंद्र (EOC) स्थापित करना अनिवार्य होगा। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों में समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर और समावेशन सुनिश्चित करना है।
- समान अवसर केंद्र (EOC) के अंतर्गत संस्थान में एक समता कमेटी गठित की जाएगी, जिसकी अध्यक्षता संस्थान के प्रमुख करेंगे। इस कमेटी में ओबीसी, एससी, एसटी, दिव्यांग तथा महिलाओं का प्रतिनिधित्व अनिवार्य होगा, ताकि समावेशी निर्णय प्रक्रिया सुनिश्चित की जा सके। शिकायत मिलते ही समिति बैठक करेगी और रिपोर्ट संस्थान प्रमुख को देगी।
- हर संस्थान को 24 घंटे की इक्विटी हेल्पलाइन चलानी होगी। शिकायतकर्ता की पहचान मांगने पर गोपनीय रखी जाएगी।
- समान अवसर केंद्र को अर्द्धवार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, जबकि समानता कमेटी को वर्ष में कम से कम दो बार बैठक करनी होगी। हर संस्थान को समान अवसर केंद्र की कार्यप्रणाली पर वार्षिक रिपोर्ट यूजीसी को प्रस्तुत करनी होगी।
- नए विनियमों में भेदभाव उन्मूलन और समानता संवर्द्धन की स्पष्ट जिम्मेदारी संस्थानों को निर्दिष्ट की गई है तथा संस्थान के प्रमुख को प्रभावी कार्यान्वयन और अनुपालन के लिए सीधे उत्तरदायी बनाया गया है।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) राष्ट्रीय स्तर पर एक निगरानी समिति बनाएगा, जिसमें वैधानिक पेशेवर परिषदों व आयोगों के प्रतिनिधि तथा नागरिक समाज के सदस्य शामिल होंगे। यह समिति कम से कम वर्ष में दो बार बैठक करके नियमों के क्रियान्वयन की समीक्षा करेगी, भेदभाव के मामलों की जांच करेगी और रोकथाम के उपाय सुझाएगी।
- नवीन नियमावली में संस्थानों को भेदभाव समाप्त करने, समानता को बढ़ावा देने और इसके लिए उपयुक्त उपाय करने के उत्तरदायित्व दिए गए हैं। संस्थान के प्रमुख को यह सुनिश्चित करने का पूर्ण अधिकार और जिम्मेदारी होगी कि नियमों का पालन हो।

नियमों का अनुपालन न होने पर क्या होगा

उच्च शिक्षा संस्थानों को यूजीसी की योजनाओं में भाग लेने से वंचित किया जा सकता है। उन्हें डिग्री कार्यक्रम, डिस्टेंस लर्निंग एवं ऑनलाइन कार्यक्रम संचालित करने से रोका जा सकता है। अनुदान रोका जा सकता है, नए कोर्स बंद हो सकते हैं। संस्थान को उच्च शिक्षा संस्थानों की सूची से हटाया जा सकता है। इससे ये नियम सिर्फ सलाह नहीं, बल्कि प्रवर्तनीय बन गए हैं।

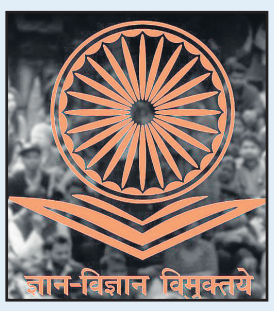

कौन से हैं वह मुख्य बिंदु, जिन पर जताई जा रही है आपत्ति

पिछले साल फरवरी माह में यूजीसी ने इन नियमों का मसौदा (ड्राफ्ट) संस्करण सार्वजनिक सुझावों के लिए जारी किया था। इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को जाति-आधारित भेदभाव के दायरे से बाहर रखा गया था, लेकिन अधिसूचित नियमों में यूजीसी ने ओबीसी को जाति-आधारित भेदभाव के दायरे में शामिल कर लिया है। मसौदा नियमों में भेदभाव की परिभाषा अस्पष्ट थी, जिसे अब विस्तारित करते हुए कहा गया है कि जाति, धर्म, नस्ल, लिंग, जन्मस्थान या दिव्यांगता के आधार पर कोई अनुचित या भेदभावपूर्ण व्यवहार, जो शिक्षा में समानता को लेकर बाधा डालता है या मानव की गरिमा का उल्लंघन करता है, उसे जातिगत भेदभाव माना जाएगा। इसी तरह मसौदा नियमों में यह प्रस्ताव था कि भेदभाव की झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायतों को 'हतोत्साहित' किया जाएगा और इसके लिए जुर्माना या सस्पेंड करने का प्रावधान रखा गया था, लेकिन अधिसूचित नियमों में झूठी शिकायतों से संबंधित प्रावधान हटा दिया है।

कैंपस में पहला दिन

सीख और स्मृतियों की यात्रा

इंटर की परीक्षा पास करते ही जीवन ने मुझे पहली बार घर की सीमाओं से बाहर निकलने का अवसर दिया। फर्रुखाबाद की परिचित गलियों और अपनेपन भरे माहौल को पीछे छोड़कर मैं पढ़ाई के लिए कानपुर आया। यह केवल शहर बदलने की यात्रा नहीं थी, बल्कि बचपन से युवावस्था की ओर बढ़ने का पहला ठोस कदम भी था। नवाबगंज स्थित वीएसएसडी कॉलेज में बीकॉम में दाखिला लिया और उसी के साथ एक बिल्कुल नई दुनिया मेरे सामने खुलने लगी।

कानपुर का माहौल मेरे लिए आकर्षक भी था और थोड़ा डरावना भी। नए चेहरे, नई भाषा, नए तौर-तरीके, सब कुछ अनजान था। नए दोस्तों से मिलना और उनके बीच अपनी जगह बनाना आसान नहीं था। कॉलेज को लेकर पहले से कई किस्से सुन रखे थे। यह भी पता चला था कि यहां को-एजुकेशन होती है, इसलिए मन में एक मासूम-सी उत्सुकता और खुशी भी थी। यह भ्रम जल्द ही टूट गया। बीकॉम की हमारी पूरी कक्षा में एक भी छात्रा नहीं थी। को-एजुकेशन की सारी कल्पनाएं पहले ही सेमेस्टर में दम तोड़ गईं। फिर भी कॉलेज जीवन निराशाजनक नहीं था। दोस्तों के साथ हंसी-मजाक, कैंटीन की चर्चाएं और कभी-कभार इधर-उधर घूमने की योजनाएं रोजमर्रा का हिस्सा बन गईं। हालांकि पढ़ाई को लेकर माहौल काफी सख्त था। हमारे प्रोफेसर छात्रों की नीयत तुरंत भांप लेते थे। जरा-सी लापरवाही या बहानेबाजी उनके सामने नहीं चलती थी। अनुशासन यहां केवल नियम नहीं, बल्कि आदत बन चुका था। हमारे विभागाध्यक्ष स्वर्गीय डॉ. ज्ञानचंद अग्रवाल एक विलक्षण व्यक्तित्व थे। उनके व्यवहार में कठोरता नहीं, बल्कि अपनापन था। उनकी सरलता, स्नेह और अनुशासन ने हम सब पर गहरा प्रभाव डाला। वे हमें सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं देते थे, बल्कि जीवन जीने की समझ भी देते थे। आज पीछे मुड़कर देखता हूं, तो महसूस होता है कि कानपुर का वह कॉलेज और वहां बिताया गया समय मेरे व्यक्तित्व की नींव बन गया। जो भी आत्मविश्वास, समझ और अभिव्यक्ति मुझमें आज दिखाई देती है, उसके पीछे मेरे कॉलेज और मेरे गुरुओं का अमिट योगदान है। वे दिन स्मृतियों में आज भी जीवित हैं- एक सीख की तरह, एक संस्कार की तरह।

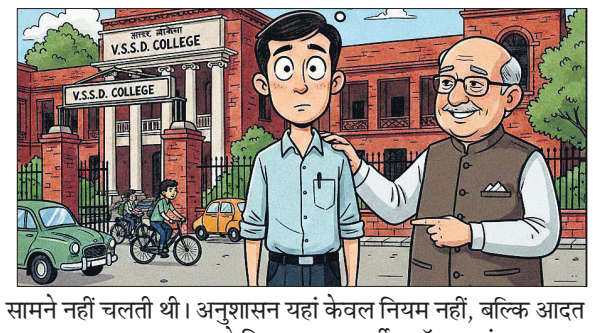

आरके सक्सेना
उद्यमी एवं समाजसेवी

करेंट अफेयर्स

- हाल ही भारत की रक्षा आधुनिकीकरण की झलक 77 वें गणतंत्र दिवस परेड में उस समय स्पष्ट रूप से देखने को मिली, जब एक उन्नत हाइपरसोनिक मिसाइल प्रणाली का पहली बार सार्वजनिक प्रदर्शन किया गया। स्वदेशी रूप से विकसित यह हथियार उच्च-गति और सटीक युद्ध क्षमताओं में भारत की बढ़ती तकनीकी क्षमता को दर्शाता है तथा बदलते रणनीतिक वातावरण में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने पर दिए जा रहे विशेष जोर को रेखांकित करता है। हाइपरसोनिक हथियार अपनी असाधारण गति, अनिश्चित उड़ान पथ और उच्च सटीकता के कारण आधुनिक युद्ध में एक क्रांतिकारी परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करते हैं। वर्तमान में केवल कुछ ही देशों के पास परिचालन स्तर की हाइपरसोनिक क्षमताएं हैं। इस क्षेत्र में भारत की प्रगति उसे उन्नत सैन्य शक्तियों के विशिष्ट समूह में स्थापित करती है और भविष्य-उन्मुख रक्षा प्रौद्योगिकियों के प्रति देश की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
- हाल ही भारत और नामीबिया ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। जनवरी 2026 में आयोजित उच्च-स्तरीय राजनयिक परामर्श के दौरान दोनों देशों ने रक्षा, महत्वपूर्ण खनिज, स्वास्थ्य, कृषि और डिजिटल अवसंरचना जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। यह चर्चा संसाधन सुरक्षा, सतत विकास और उभरती वैश्विक चुनौतियों के साझा दृष्टिकोण को दर्शाती है।
- हाल ही में भारत-यूरोपीय संघ (EU) संबंधों ने 2026 में एक नया चरण शुरू किया, जब यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयेन ने भारत का उच्च-स्तरीय दौरा किया। इस यात्रा के दौरान व्यापार, सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और जन-जन संपर्क से जुड़े व्यापक समझौते हुए, जो तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य में साझेदारी को मजबूत करने की साझा दृष्टि को दर्शाते हैं।
- हाल ही उत्तराखंड राज्य ने अपने नागरिक कानून ढांचे में एक और महत्वपूर्ण सुधार करते हुए समान नागरिक संहिता (UCC) को नए संशोधनों के माध्यम से और सुदृढ़ किया है। इस कदम का उद्देश्य कानून को अधिक व्यावहारिक, पारदर्शी और नागरिक-अनुकूल बनाना है, साथ ही राज्य में नागरिक मामलों में समानता और डिजिटल शासन को मजबूत करना है।

जॉब अलर्ट

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (CBI)

- पद का नाम-फॉरेन एक्सचेंज ऑफिसर (स्केल III) और मार्केटिंग ऑफिसर (स्केल I)
- कुल पद- 350
- नौकरी का स्थान- पूरे भारत में कहीं भी
- वेतन स्केल III: 85,920-1,05,280 और स्केल I: 48,480-85,920
- अंतिम तिथि-03 फरवरी 2026
- परीक्षा की तिथि- फरवरी/मार्च 2026 (संभावित)
- वेबसाइट-centralbankofindia.bank.in

बॉम्बे मर्कंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (BMC बैंक)

- पद का नाम- मैनेजिंग डायरेक्टर
- पदों की संख्या- उल्लेखित नहीं (मैनेजिंग डायरेक्टर का एक कार्यकारी पद)
- योग्यता- किसी भी विषय में ग्रेजुएट, CAIIB, CA, MBA, बैंकिंग और फाइनेंस या कानून में योग्यता या PG डिग्री वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी।
- आयु सीमा-उम्मीदवार की आयु 35 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- आवेदन की अंतिम तिथि-15-02-2026 (15 फरवरी 2026 से पहले)
- वेबसाइट-www.bmc.bank.in

सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी (CCRH)

- पद का नाम-विभिन्न पद (जूनियर रिसर्च फेलो, सीनियर रिसर्च फेलो, रिसर्च एसोसिएट, साइंटिस्ट C, प्रोजेक्ट एसोसिएट II, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, मल्टी-टास्किंग स्टाफ, ऑफिस असिस्टेंट, फार्मासिस्ट/कंपाउंडर/डिस्पेंसर, लैब टेक्नीशियन, प्रिंसिपल प्रोजेक्ट एसोसिएट)
- पदों की संख्या-40
- वेतन-रु. 16,000 से रु. 84,337 (एकमुश्त) + HRA (पदानुसार अलग-अलग, कुछ में वार्षिक वेतन वृद्धि)
- योग्यता-पद के अनुसार अलग-अलग
- आयु सीमा-30 से 64 वर्ष (पद के अनुसार अलग-अलग, इंटरव्यू की तारीख के अनुसार)
- वेबसाइट- https://ccrhindia.ayush.gov.in/

कम्युनिकेशन स्किल: सफल करियर की कुंजी

कम्युनिकेशन स्किल आज के समय में कोई अतिरिक्त योग्यता नहीं रह गई है, बल्कि यह हर छात्र के व्यक्तित्व और सफलता की बुनियाद बन चुकी है। कई शोध यह साबित कर चुके हैं कि जिन विद्यार्थियों में प्रभावी संचार क्षमता होती है, वे पढ़ाई में ही नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में आगे रहते हैं। मजबूत कम्युनिकेशन स्किल न केवल आत्मविश्वास बढ़ाती है, बल्कि आपको अपने विचारों को सही शब्दों में ढालने और दूसरों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने की ताकत भी देती है। कक्षा में सवाल पूछने से लेकर इंटरव्यू में खुद को प्रस्तुत करने तक- हर जगह संचार कौशल निर्णायक भूमिका निभाता है। कॉलेज का समय इन क्षमताओं को निखारने का सबसे सही दौर होता है।

नवनीत तिवारी
करियर काउंसर

सुनने की बनाएं आदत

अक्सर लोग संचार को केवल प्रभावशाली बोलने की कला मान लेते हैं, जबकि सच यह है कि संवाद की असली शुरुआत ध्यानपूर्वक सुनने से होती है। सुनना केवल शब्दों को ग्रहण करना नहीं, बल्कि सामने वाले की भावना, विचार और दृष्टिकोण को समझने की प्रक्रिया है। जब हम पूरी एकाग्रता से किसी की बात सुनते हैं, तो यह उसके प्रति सम्मान और रुचि को दर्शाता है। सुनने की क्षमता ही सही और संतुलित प्रतिक्रिया का आधार बनती है। इस तरह सुनने की आदत संवाद को सार्थक और भरोसेमंद बनाती है।

शब्दों का चयन सोच-समझकर करें

बोलना आसान है, लेकिन सही समय पर सही शब्द कहना एक कला है। छात्रों को यह समझना चाहिए कि शब्दों का असर गहरा होता है। कभी-कभी एक वाक्य किसी को प्रेरित कर सकता है और वही वाक्य किसी को आहत भी कर सकता है। इसलिए अपनी बात रखने से पहले थोड़ा ठहरें, सोचें और फिर बोलें। प्रत्येक छात्र को इस आदत को विकसित करना चाहिए, क्योंकि एक बार बोले गए शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। आपके शब्द सराहना से भरे भी हो सकते हैं और आलोचनात्मक भी। उनमें सामने वाले को अच्छा या बुरा महसूस कराने की शक्ति होती है। इसलिए शब्दों के महत्व को समझें और बोलने से पहले सोचें।

वाद-विवाद से आत्मविश्वास को दें उड़ान

सार्वजनिक रूप से बोलने का डर छात्रों के आत्मविश्वास में सबसे बड़ी बाधा बनता है, जिसे दूर करने में कॉलेज की वाद-विवाद प्रतियोगिताएं अहम भूमिका निभाती हैं। डिबेट में भाग लेने से विद्यार्थी विषय को गहराई से समझना सीखते हैं और अपने विचारों को तार्किक ढंग से प्रस्तुत करने की क्षमता विकसित करते हैं। बहस के दौरान अलग-अलग दृष्टिकोण सामने आते हैं, जिससे सोच का दायरा व्यापक होता है और सहनशीलता भी बढ़ती है। जब छात्र पक्ष और विपक्ष दोनों की तैयारी करते हैं, तो वे किसी भी परिस्थिति में संतुलित और प्रभावी ढंग से अपनी बात रखने में पूर्णरूप से सक्षम होते हैं। साथ ही, प्रतिद्वंद्वी के तर्कों को समझकर उनका संयमित और तथ्यात्मक तरीक से खंडन करना भी सीखते हैं, जो प्रभावी संवाद के लिए आवश्यक कौशल है।

स्पष्ट सोच, प्रभावी अभिव्यक्ति

अगर विचार उलझे होंगे, तो शब्द भी उलझे ही निकलेंगे। इसलिए जरूरी है कि बोलते समय आप मुद्दे पर टिके रहें। लेखन इस दिशा में एक बेहतरीन अभ्यास है। जब आप लिखते हैं और फिर अपने लिखे को पढ़ते हैं, तो सोचने का दायरा विस्तृत होता है और विचारों में स्पष्टता आती है। बोलते समय अपनी बात स्पष्ट और मुद्दे पर केंद्रित रखें। जब आपके विचार स्पष्ट होते हैं, तभी आपकी अभिव्यक्ति में विशिष्टता आती है।

एक हुनर है प्रश्न पूछना भी

यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपने सामने वाले के संदेश को सही ढंग से समझा है, प्रश्न पूछना एक आवश्यक कौशल है। यह न केवल किसी विषय को गहराई से समझने में मदद करता है, बल्कि बातचीत को शुरू करने और उसे आगे बढ़ाने का भी प्रभावी तरीका है। अच्छे प्रश्न पूछने वाले लोग प्रायः अच्छे श्रोता भी माने जाते हैं, क्योंकि वे अपनी राय थोपने के बजाय दूसरों को समझने पर अधिक ध्यान देते हैं। अच्छा संवाद केवल जवाब देने से नहीं, बल्कि सही प्रश्न पूछने से भी बनता है। सवाल पूछने से यह स्पष्ट होता है कि आप बातचीत में रुचि ले रहे हैं और सामने वाले को समझना चाहते हैं।